UPMP040087832026

न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–2 मैनपुरी ।

परिवाद संख्या-4352/2024
धारा-498-A,323,504 IPC
थाना- बेवर, जिला- मैनपुरी

रंजना बनाम अरविन्द

आदेश

30.06.2026

1. अभियुक्त अरविन्द पुत्र कृपाल सिंह की ओर से परिवाद संख्या-4352/2024 अन्तर्गत धारा-498-A,323,504 IPC थाना-बेवर, जिला- मैनपुरी के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया है ।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त परिवाद में झूंठा वांछित किया गया है । प्रार्थी निर्दोष है । प्रार्थी परिवादिनी का पति है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारीजनों ने परिवादिनी के साथ कभी न तो मारपीट, गाली गलौज और न अतिरिक्त दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित किया गया। अतः प्रार्थी की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आयी । परिवादिनी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी ।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है तथा उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दूरूपयोग नहीं किया गया है । प्रस्तुत मामला वैवाहिक विवाद एवं परिवाद पर आधारित है । अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। प्रस्तुत मामला सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है एवं मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है। अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

6. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(रूबी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–2, मैनपुरी
J.O.CODE–UP4705